**CSWCJS**

## सामाजिक कार्य और आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रमाणपत्र

(सीएसडब्ल्यूसीजेएस)

# सत्रीय कार्य-2023

इग्नू
जन-जन का विश्वविद्यालय

समाज कार्य विद्यापीठ
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली

# सत्रीय कार्य भेजने के लिए अनुसूची

प्रिय विद्यार्थी

हमें उम्मीद है कि आप सीएसडब्ल्यूसीजेएस कार्यक्रम मार्गदर्शिका को ध्यानपूर्वक पढ़ चुके होंगे। हमने इस मार्गदर्शिका में यह समझाया है कि इग्नू को सत्र–समाप्ति की परीक्षा में पात्र बनने के लिए दिये गये सत्रीय कार्य को निश्चित समयाविधि में पूरा करना आवश्यक है। सीएसडब्ल्यूसीजेएस के सभी सत्रीय कार्य अध्यापक चिन्हित सत्रीय कार्य (टीएमए) एवं सतत मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा है। आपको अलग–अलग सत्रीय कार्य, MSW–031 और MSW–032 दिये जा रहे हैं। (जनवरी 2023 और जुलाई 2023 के लिए पंजीकृत छात्रों के लिए)।

**सत्रीय कार्य लिखने से पहले, आप कार्यक्रम मार्गदर्शिका में दिये गये निर्देश और पाठ्यक्रम सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।** उत्तर लिखने से पहले सत्रीय कार्य सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान से पढें। अगर आपको पाठ्यक्रम और सत्रीय कार्य से सम्बन्धित कोई सन्देह या समस्या है तो आप अपने अध्ययन केन्द्र में सम्बन्धित शैक्षिक सलाहकार से सम्पर्क करें।

आपसे अनुरोध है कि आप पहले पाठ्यक्रम सामग्री को पढें और तब उसके बाद सत्रीय कार्य को निर्देशों के अनुसार तैयार करें। आपके उत्तर, शाब्दिक सामग्री/ब्लॉक जो आपको स्वयं के सीखने के उद्देश्य से दी गयी है से शब्दशः नकल नहीं होना चाहिए। **सत्रीय कार्य हस्तलिखित और स्वहस्ताक्षरित होने चाहिएं।** कृपया अपने सत्रीय कार्य के उत्तर दी गयी तारीख के पहले जो कि आपकी रसीद पर उल्लेखित है, अपने अध्ययन केन्द्र पर जमा करें। आप से उम्मीद की जाती है कि आप सत्रीय कार्य की एक कार्बन कॉपी या फोटो कॉपी भविष्य में किसी भी सन्दर्भ या प्रयोग के लिए रखें।

**सत्रीय कार्य जमा करने से सम्बन्धित नवीनतम जानकारी के लिए इग्नू वेबसाइट www.ignou.ac.inदेखें।**

कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ।

**(डॉ बिनोद कुमार)**
**कार्यक्रम समन्वयक**
**ई मेल binodkumar@ignou.ac.in**
**cswcjsinfo@ignou.ac.in**

## सुधारात्मक परिवेशों में समाज कार्य अंतःक्षेप (एम.एस.डब्ल्यू. –031)

**पाठ्यक्रम कोड : एम.एस.डब्ल्यू.–031**

**अधिकतम अंक : 100**

नोट : (i) निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्ही **पांच** प्रश्नों के उत्तर (प्रत्येक लगभग **500** शब्दों में) दीजिए।

(ii) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. उपयुक्त उदाहरण की सहायता से सुधारक प्रणाली के दार्शनिक आधार की व्याख्या करें । 20
2. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 के अधीन स्थापित विभिन्न प्रकार की सुधारक संस्थाओं का वर्णन कीजिए । 20
3. भारतीय प्रसंग में उपयुक्त उदाहरणों के साथ वैयक्तिक कार्य अभ्यास के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। 20
4. परामर्श के विभिन्न सिद्धांतों और मॉडलों की व्याख्या कीजिए। परामर्श सुधारात्मक परिवेश में व्यक्ति के साथ व्यवहार करने में सामाजिक कार्यकर्ता की कैसे मदद करता है ? 20
5. समूह से आप क्या समझते हैं? भारत में प्रचलित विभिन्न प्रकार के समूह की चर्चा कीजिए। 20
6. पापेल और रोथमैन द्वारा प्रतिपादित तीन मॉडलों की चर्चा करें जो सामाजिक समूह कार्य परंपरा का मूल रूप हैं। 20
7. जीवन कौशलों को परिभाषित कीजिए। बच्चों में जीवन कौशल शिक्षा के महत्व की चर्चा कीजिए। 20
8. समाज कार्य में अभिलेखन से आपका क्या तात्पर्य है? सामाजिक समूह कार्य में रिकॉर्डिंग के महत्व पर चर्चा करें। 20

# समाज कार्य और आपराधिक न्याय (एम.एस.डब्ल्यू.–032)

**पाठ्यक्रम कोड : एम.एस.डब्ल्यू.–032**

**अधिकतम अंक : 100**

नोट : (i) निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्ही **पांच** प्रश्नों के उत्तर (प्रत्येक लगभग **500** शब्दों में) दीजिए।

(ii) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. अपराध की अवधारणा की विवेचना कीजिए तथा मूल और प्रक्रियात्मक कानून के अंतर्गत इसके आवश्यक घटकों की व्याख्या कीजिए। 20

2 भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के संवैधानिक अधिदेशों पर प्रकाश डालिए। 20

3. आपराधिक न्याय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न घटकों पर विस्तार से चर्चा कीजिए।20

4. भारत में उपलब्ध अभियुक्तों के विभिन्न अधिकारों की व्याख्या कीजिए। 20

5. संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में क्या अंतर है? दोनों प्रकार के अपराधों की जांच में पुलिस की भूमिका कैसे भिन्न है? 20

6. भारत में किशोर न्याय प्रणाली के विकास की चर्चा कीजिए। 20

7. दंड के विभिन्न सिद्धांतों को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। 20

8. आदर्श कारागार नियमावली 1960 की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए और भारत में जेल और अन्य सुधारक संस्थानों में जीवनयापन स्थिति पर ध्यान दीजिए। 20